तेज सिंह उर्फ बबलू बनाम् राजस्थान राज्य।

(एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-6498 /2006)

2.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री नीरज के. तिवाड़ी, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री आर.पी. कुलदीप, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

श्रीमती सुशीला, थानाधिकारी, महिला थाना, अजमेर व्यक्तिश: उप.

श्रीमती सुशीला, थानाधिकारी, महिला थाना, अजमेर आज व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित हैं। उनके कथनानुसार मृतका सीमा कंवर की पुत्री निशा कंवर, आयु-4 वर्ष, पुत्र देवेन्द्र सिंह, आयु-3 वर्ष व पुत्र गजराज सिंह, आयु-1 वर्ष, छोटी नागफनी, अजमेर में किराये के मकान में निवास कर रहे हैं तथा उनकी दादी व चाचा की मृत्यु हो चुकी है। उनका यह भी कथन है कि इन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है तथा मोहल्ले वाले ही उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। अभिलेख के परीक्षण से यह भी प्रकट होता है कि मृतका सीमा ने जो मृत्युकालिक कथन किए थे उसमें प्रार्थी को आरोपित नहीं किया था एवं उक्त मृत्युकालिक कथन में मृतका सीमा ने कथन किया था कि वह दुध गर्म कर रही थी तो केरोसीन तेल की बोतल गिर जाने के कारण उसके शरीर में आग लग गई । उसके पति ने उसे बचाने का प्रयास किया था जिसमें उसके पति के हाथ जल गये थे। लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी तथा सुयोग्य लोक अभियोजक को सुना गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत अभिव्यक्त किए बिना, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में तथा प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है एवं मृतका सीमा कंवर की पुत्री निशा कंवर, आयु-4 वर्ष, पुत्र देवेन्द्र सिंह, आयु-3 वर्ष व पुत्र गजराज सिंह, आयु-1 वर्ष की देखभाल करने वाला कोई नहीं हैं तथा मृत्युकालिक कथन में भी कोई आरोप मृतका सीमा ने प्रार्थी के विरूद्व नहीं लगाया है, मैं, प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-439 के प्रावधान आकर्षित करते हुए, प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र किया जाना न्यायोचित समझता हूं।

अत: आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी तेज सिंह उर्फ बबलू पुत्र कान सिंह विचारण न्यायालय के संतोष अनुसार 30,000/- (अक्षरे तीस हजार) का व्यक्तिगत बन्ध

पत्र व उसी राशि की एक सुदृड एवं विश्वसनीय प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा तथा यदि प्रार्थी अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे अविलम्ब उपरोक्तानुसार जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)